

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एस० डब्लू/एन०पी०-91/2011-13 लाइसेन्स टू पोस्ट एंट कन्सेशनल रेंट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विघायी परिशिष्ट भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनक, बृहस्पतिवार, 13 जनवरी, 2011 पौष 23, 1932 शक सम्वत्

> उत्तर प्रदेश सरकार विधायी अनुभाग-1

संख्या 19/79-थि-1-11-2(क)-1-2011 लखनज. 13 जनवरी, 2011

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छंद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्निलिखित उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अध्यादेश, 2011 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2011) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अध्यादेश, 2011

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2011)

[भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश] राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने तथा उससे संबंधित और आनुषंगिक विषयों का व्यवस्था करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यशाही करना आवश्यक हो गया है:

अतएव, अब. संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश जनहित गाएण्टी अध्यादेश, 2011 कहा जायेगा।

सक्रिक नाम. विस्तार और प्रारम्भ

- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगान
- (3) यह ऐसे दिनांक से प्रशृप्त होगा, जैसा राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाए

2-जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अध्यादेश में :-

- (क) "पदामिहित अधिकारी" का तात्पर्य, धारा 3 के अधीन सेवा प्रदान करने के लिए इस रूप में अधिसुधित किसी अधिकारी से हैं;
- (ख) 'पात्र व्यक्ति' का तात्पर्यं अधिसूचित सेवा के लिए पात्र किसी व्यक्ति से है:
- ु(ग) 'प्रथम अपील अधिकारी' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसुचित किसी अधिकारी से हैं;
- (घ) "सेवा की अधिकार" का तात्पर्य नियत समय सीमा के भीतर धारा 4 के अधीन सेवा प्राप्त करने के अधिकार से है;
 - (ड) "सेवा" का तात्पर्य, धारा 3 के अधीन अधिसूचित किसी सेवा से है;
 - (च) "द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किसी अधिकारी से हैं;
 - (छ) "नियत समय सीमा" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन अधिसूचित पदामिहित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान करने अध्या प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील का विनिश्चय करने का अधिकतम समय से है:

3-राज्य सरकार, समय-सीमा पर सेवाओं, पदासिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी तथा नियल समय सीमा को अधिसूचित कर सकेगी :

संवाओं, पदागिहित अधिकारियां, प्रथम अपील अधिकारियां, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी लद्या, नियत समय सीनाओं की अधिसूचना

नियत समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार

नियत सनय सीमा में सेवा उपलब्ध कराना 4-पदामिहित अधिकारी घारा 3 के अधीन अधिसूचित सेवा पात्र व्यक्ति को उपलब्ध करायेगा।

- 5—(1) नियत समय सीमा, अधिसूचित सेवा के लिए अपेक्षित आवेदन, पदाभिहित अधिकारी या उसके अधीनस्थ आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, प्रस्तुत करने के दिनांक से प्रारम्भ होगी। ऐसे आवेदन की सम्यक् रूप से अभिस्तीकृति दी जायेगी।
- (2) पदामिहित अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर समय सीमा के भीतर या तो सेवा उपलब्ध करायेगा या आवेदन अस्वीकृत करेगा और आवेदन अस्वीकृत करने के मामले में यह कारणों को लिखित में अभितिखित करेगा और आवेदक को सूचित करेगा।
- 6—(1) कोई व्यक्ति, जिसका आवेदन घारा 5 की उपघारा (2) के अधीन अस्वीकृत कर दिया जाता है. अथवा उसे नियत समय सीमा के मीतर सेवा उपलब्ध नहीं करायी जाती है. आवेदन अस्वीकृत होने के दिनांक से अधवा नियत समय सीमा के अवसान के तीस दिन के मीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकेगा:

परन्तु प्रथम अपील अधिकारी तीस दिनों की अवधि के अवसान के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकेगा. यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील ग्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रविरत किया गया था।

- (2) प्रथम अपील अधिकारी पदाभिहित अधिकारी को आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सेवा उपलब्ध कराने का आदेश दे सकेगा या अपील को अस्वीकार कर सकेगा।
- (3) प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय के दिनांक से 60 दिनों के भीतर की जा सकेंगी;

अपील

परन्तु द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, 60 दिनों की अवधि के अवसान के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रविस्त किया गया था।

- 4-(क) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी पदामिहित अधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा. जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करे या अपील को अस्वीकार कर सकेगा।
 - (स्त) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी सेवा उपलब्ध कराने के आदेश के साध्य धारा 7 के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।
- 5-(क) यथास्थिति यदि पदाभिहित अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी भारा 5 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की अभिस्वीकृति नहीं देता है, तो आवेदक प्रथम अपील अधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। इस आवेदन का विनिश्चय प्रथम अपील की रीति से किया जायेगा।
 - (ख) यदि पदाभिहित अधिकारी उपधारा (2) के अधीन सेवा प्रदान करने के आदेश का अनुपालन नहीं करता हैं. तो आवेदक द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को सीधे आयेदन प्रस्तुत कर सकेगा। इस आवेदन का विनिश्चय प्रथम अपील की रीति से किया जायेगा।

6—प्रथम अपील अधिकारी तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की. इस धारा के अधीन अपील का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में वही शक्तियां होंगी, जो कि किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5. सन् 1908) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात :--

- (क) दस्तावेजों का प्रकटीकरण तथा निरीक्षण किए जाने की अपेक्षा करना:
- (ख) पदाभिहित अधिकारी तथा अपीलार्थी को सुनवाई के लिए समन जारी करनाः और
 - (ग) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय।

7-(1) (क) जहां द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की यह राय है कि पदाभिहित अधिकारी आसि बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में विफल रहा हो. तो वह एकमुस्त शास्ति अधिरोपित कर सकता हैं. जो अन्यून 500 रुपये तथा 5000 रुपये से अनिधक होगी।

(ख) जहां द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की यह राय है कि पदाभिहित अधिकारी ने सेवा प्रदान करने में विलम्ब किया है तो वह पदाभिहित अधिकारी पर ऐसे विलम्ब के लिए 250 रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो 5000 रुपये से अनिधक होगीः

परन्तु पदामिहित अधिकारी को, उस पर शास्ति अधिरोपित किये जाने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

(2) जहां द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की यह राय है कि प्रथम अपील अधिकारी बिना किसी पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से नियत समय के भीतर अपील का विनिश्चय करने में विफल रहा है तो वह प्रथम अपील अधिकारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकता है. जो 500 रुपये से अन्यून तथा 5000 रुपये से अनिधक होगी:

परन्तु प्रथम अधील अधिकारी को उस पर शास्ति अधिरोपित किये जाने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

- (3) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी यथांस्थिति उपधारा (1) या (2) या दोनों के अधीन अधिरोपित शास्ति में से प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि जो अधिरोपित शास्ति से अधिक नहीं होगी, अपीलार्थी को प्रदान करने का आदेश दे सकता है।
- (4) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का यदि समाधान हो जाता है कि पदाभिहित अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से इस अध्यादेश के अधीन सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा है तो वह उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तृति कर सकता है।

पुनशक्षण

8-इस अध्यादेश के अधीन शास्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में हितीय अपीलीय प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित पदामिहित अधिकारी अथवा प्रथम अपील अधिकारी उस आदेश के दिनांक से 60 दिन की अवधि के भीतर पुनरीक्षण करने के लिए ्राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नाम निर्दिष्ट ऐसे अधिकारी को आवेदन कर सकेगा. जो यथाविहित रीति के अनुसार उस आवेदन पत्र का निस्तारण करेगाः

परन्तु राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त आबेदन पर्याप्त कारण से समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका था, तो वह ऐसे आवेदन को 80 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा।

9—इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

> 10-राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अध्यादेश के उपबन्धों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बना सकेगी।

> 14-(1) यदि इस अध्यादेश के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है. तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश जो इस अध्यादेश के उपबन्धों से असंगत न हो, द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकती है जो कठिनाई दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः

> परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा।

- (2) उपचारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा किये गये उपबन्ध उसी रूप में प्रमावी होंगे मानो इस अध्यादेश में अधिनियमित क्रिये गये हो और ऐसा कोई आदेश किया जा सकता है. जो इस अध्यादेश के प्रारम्म होने के दिनांक से पूर्ववर्ती किसी दिनांक से भूतलक्षी न हो।
- (3) उपधारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश को उसके किये जाने के यधाशक्य शीघ्र पश्चात् राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम. 1904 की घारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी रूप में लागू होंगे जैसा कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते है।

बी० एल० जोशी, राज्यपाल. उत्तर प्रदेश।

आजा से. . के० के० शर्मा, प्रमुख सचिव।

सदमावपूर्वक की गयी कार्रवाई का सरक्षण

नियम बनानं की शक्ति

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

No. 19(2)/LXXIX-V-1-11-2(ka)1-2011

Dated Lucknow, January 13, 2011

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is eased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Jamhit Guarantee lhyadesh, 2011 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 1 of 2011) promulgated by the Governor.

THE UTTAR PRADESH JANHIT GUARANTEE ADHYADESH, 2011

(U.P. ORDINANCE NO. 1 OF 2011)

[Promulgated by the Governor in the Sixty-First Year of the republic of India]

AN

ORDINANCE

to provide for the delivery of services to the people of the State within stipulated time limit and for atters connected therewith and incidental thereto.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstance ist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the institution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Janhit Guarantee thyadesh, 2011.

Short title, extent and commencement

- (2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may by diffication in the Gazette, appoint.
 - 2. In this Ordinance, unless the context otherwise requires-

Definitions

- (a) "designated officer" means an officer notified as such for providing the service under section 3;
 - (b) "eligible person" means a person who is eligible for notified services;
- (c) "first appeal officer" means an officer who is notified as such under section 3;
- (d) "right to service" means right to obtain the service within the stipulated time limit under section 4;
 - (e) "service" means any service notified under section 3;
- (f) "second appellate authority" means an officer who is notified as such under section 3;
- (g) "stipulated time limit" means maximum time to provide the service by the designated officer or to decide the appeal by the first appeal officer as notified under section 3.
- 3. The State Government may, from time to time, notify the services, designated . ficers, first appeal officers, second appellate authority and stipulated time limits erefor.

Notification of services, designated, officers first appeal officers, second appellate authority and stepplated time. Right to obtain service within stipulated time brait. The designated officer shall provide the service notified under section 3 to the eligible person.

Providing services in stipulated time limit.

- 5. (1) Stipulated time limit shall start from the date when required application for notified service is submitted to the designated officer or to a person subordinate to him authorized to receive the application, Such application shall be duly acknowledged.
- (2) The designated officer on receipt of an application under sub-section (1) shall within the stipulated time limit either provide service or reject the application and in case of rejection of application, he shall record the reasons in writing and intimate the applicant.

Appeal

6. (1) Any person, whose application is rejected under sub-section (2) of section 5 or who is not provided with the service within the stipulated time limit, may file an appeal to the first appeal officer within thirty days from the date of rejection of application or the expiry of the stipulated time limit;

Provided that the first appeal officer may admit the appeal after the expiry of the period of thirty days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

- (2) The first appeal officer may order to the designated officer to provide the service within the period specified in the order or may reject the appeal.
- (3) A second appeal against the decision of the first appeal officer shall lie to the second appellate authority within 60 days from the date on which the decision was made:

Provided that the second appellate authority may admit the appeal after the expiry of the period of 60 days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

- 4. (a) The second appellate authority may order to the designated officer to provide the service within such period as he may specify or may reject the appeal.
 - (b) The second appellate authority, may along with the order to provide services impose penalty according to the provisions of section 7.

- 5. (a) If the designated officer or the authorized officer as the case may be does not acknowledge the application under sub-section (1) of section 5, then the applicant may submit an application directly to the first appeal officer, this application shall be disposed of in the manner of first appeal.
 - (b) If the designated officer does not comply with the order of providing the service under sub-section (2), then the applicant may submit an application directly to the second appellate authority. This application shall be disposed of in the manner of first appeal.
- 6. The first appeal officer and second appellate authority shall while deciding an appeal under this section, have the same powers as are vested in civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no. 5 of 1908) in respect of the following matters, namely—

7. (1) (a) Where the second appellate authority is of the opinion that the designated officer has failed to provide service without sufficient and reasonable cause, then he may impose lump sum penalty which shall not be less than 500 rupees and not more than 5000 rupees.

Penalty

(b) Where the second appellate authority is of the opinion that the designated officer has caused delay in providing the service, then he may impose a penalty at the rate of 250 rupees per day for such delay on the designated officer, which shall not be more than 5000 rupees:

Providing that the designated officer shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him.

(2) Where the second appeliate authority is of the opinion that the first appeal officer has failed to decide the appeal within the stipulated time limit without any sufficient and reasonable cause, then he may impose a penalty on first appeal officer which shall not be less than 500 rupees and more than 5000 rupees:

Provided that the first appeal officer shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him.

- (3) The second appellate authority may order to give such amount as compensation to the appellant from the penalty imposed under sub-section (1) or (2) or both, as the case may be, which shall not exceed to the imposed penalty.
- (4) The second appellate authority, if it is satisfied that the designated officer or the first appeal officer has failed to discharge the duties assigned to him under this. Ordinance. Without sufficient and reasonable cause, may recommend disciplinary action against him under the service rules applicable to him.
 - 8. The designated officer or first appeal officer aggrieved by any order of second appellate authority in respect of imposing penalty under this Ordinance, may make an application for revision to the officer nominated by notification by the Sate Government within the period of 60 days from the date of that order, who shall dispose of the application in such manner as may be prescribed:

Provided that the officer nominated by the State Government may entertain the application after the expiry of the said period of 60 days if he is satisfied that the application could not be submitted in time for the sufficient cause.

9. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Ordinance or any rule made thereunder.

10. The State Government may, by notification in the Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Ordinance.

11. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the State Government may by order published in the Gazene, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Ordinance, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two days from the commencement of this Ordinance.

Revision.

Protection of action taken in good faith

Powers to make

Powers of remove difficulties

- (2) The provisions made by any order under sub-section (1) shall have effect as if enacted in this Ordinance and any such order may be made so as to be retrospective to any date not earlier than the date of commencement of this Ordinance.
- (3) Every order made under sub-section (1) shall as soon as may be after it is made, be laid before both houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

B.L. JOSHI.

Governor.

Uttar Pradesh

By order. K. K. SHARMA. Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1032 राजपत्र-(हिन्दी)-2011-(1989)-599 प्रतियाँ-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 114 सा० विधायी-2011-(1990)-850 प्रतियाँ-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्व अनुभाग-14 संख्या:-2156 / एक-14-2010-33(100) / 2010टी0सी0 |] लखनऊ दिनांक 14 जनवरी, 2011

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अध्यादेश, 2011 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या— 1, सन् 2011) की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 14 जनवरी, 2011 को वह दिनांक नियत करते हैं, जब से उक्त अध्यादेश प्रवृत्त होगा।

आज्ञां से, (कंठकंश सिम्हीं) प्रमुख सचिव।

Uttar Pradesh Shasan Rajswa Anubhag-14

In pursuance of the provisions of the clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no-2156/I-14-2010-33(100)/2010 T.C.II dated 14 January, 2011

NOTIFICATION

No- 2156 /I-14-2010-33(100)/2010 T.C.II Lucknow: Dated 14 January 2011

In exercise of the powers under sub-section (3) of section 1 of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhyadesh, 2011 (U.P. Ordinance, no. 1 of 2011), the Governor is pleased to appoint January 14, 2011 as the date on which the said Ordinance shall come into force.

Pramukh Sachiv